रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-18102025-267020
CG-RJ-E-18102025-267020

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4579] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 2025/आश्विन 25, 1947
No. 4579] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर-पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 16 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4708(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, उक्त भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है राजस्थान राज्य के चूरू जिला में "चूरू - सादुलपुर दोहरीकरण (57.82 किमी) की विशेष रेल परियोजना" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और परिचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है :

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा :

प्रत्येक ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट – **तारानगर** जिला चूरू राजस्थान को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षा कर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच यदि कोई है जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे करने के पश्चात आदेश द्धारा या तो आक्षेप का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा-20 घ की उपधारा (2)के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि रेखाँकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा|

अनुसूची

राजस्थान राज्य चूरू- सादुलपुर दोहरीकरण की विशेष रेल परियोजना हेतु (तारानगर उपखण्ड के लिये) अधिग्रहण की जाने वाली संरचना

क्र॰सं	उपखण्ड / तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वे /खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवाप्ति की जाने वाली भूमि (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)
1	तारानगर	ढिंगी	25	निजी	बारानी दोयम	3.6418	0.0668 हे०

[फा. सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-20]

राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 16th October, 2025

S.O. 4708(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008(11 of 2008) and the Railway Act, 1989 (24 of 1989) hereinafter referred to as the said Act. The central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project of namely: "**Churu-Sadulpur (57.82 km) Doubling Project" in District Churu the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;**

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, **Sub Divisional Officer, Taranagar, Rajasthan,** in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority, shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) if section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the Land to be Acquired (with or without structures) for the Special Railway Project, namely, Churu–Sadulpur Doubling Project (for Taranagar Sub-Division) in the State of Rajasthan, District-Churu

S. No.	Name of Sub-Division / Tehsil	Name of Village	Survey / Khasra Number	Type of land	Nature of land	Total Area (in Hectares)	Area of Land to be Acquired (in Hectares)
1.	Taranagar	Dingi	25	Private	Barani Doyum	3.6418	0.0668

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XX]

RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Administrative Officer (Construction)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.10.18 11:30:48 +05'30'